दीवानी इजराय संख्या 67/2020
हंसराज बनाम रंगलाल वगै0

18.11.2025

अधिवक्ता डिक्रीदार उपस्थित। मदयून की ओर से कोई उपस्थित नहीं। उपखंड अधिकारी हिण्डोली की इस आशय की रिपोर्ट पेश हुई कि नीलामी में किसी के द्वारा बोली नहीं लगाये जाने से नीलामी पूर्ण नहीं हो पायी। नीलामी उद्‌घोषणा, फर्द नीलामी पत्र प्रेषित किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपखंड अधिकारी की ओर से पेश फर्द नीलामी से यह दर्शित है कि मौके पर मदयून रंगलाल उपस्थित था। बोली लगाने के संबंध में अन्य गवाहों के हस्ताक्षर फर्द पर दर्शित नहीं है। इस स्तर पर न्यायालय पुनः नीलामी की कार्यवाही अमल में लाये जाने हेतु आदेश प्रदान करना उचित पाता है। उपखंड अधिकारी हिण्डोली को जर्ये जिला कलेक्टर बूंदी इस आशय का पत्र प्रेषित हो कि प्रस्तुत प्रकरण में कुर्कशुदा भूमि को नीलाम किये जाने की कार्यवाही अमल में लाया जावे एवं नीलामी की नियत दिनांक की सूचना डिकिदार को भी भेजी जावे तथा फर्द नीलामी पर डिक्रीदार के हस्ताक्षर कराये जावे। पत्रावली वास्ते प्राप्त होने नीलामी रिपोर्ट दिनांक 19.12.2025 को पेश हो।

अपर जिला न्यायाधीश
क्रम संख्या 2, बून्दी (राज०)